न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी - श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या - 24/2019
दायरा दिनांक - 10/09/2018
निर्णय दिनांक - 5/2/21

उनवान

1. हजारी पुत्र धीसा जाति माली निवासी ढाणी नोन्दावाली तह0 बानसूर जिला अलवर राज0
2. रत्तीराम पुत्र धीसा जाति माली निवासी ढाणी नोन्दावाली तह0बानसूर जिला अलवर राज0
3. नन्दू पुत्र धीसा जाति माली निवासी ढाणी नोन्दावाली तह0बानसूर जिला अलवर राज0

-- प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण :-
1. प्रार्थी - श्री गजानन्द सैनी एड0
2. अप्रार्थी - पैरोकार सरकार

-:निर्णय:-

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश मेरे समक्ष पेश हुई। पत्रावली के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगणों ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा न0 1151 रकबा 1.72 है0 जो कि साबिक ख0नं0 913 रकबा 6 बीघा 16बिस्वा वाकै मौजा बानसूर से दौराने बन्दोबस्त सम्वत् 2060 से बने है , में प्रार्थी के पिता का नाम धीसा के स्थान पर छीता दर्ज है जबकि सम्वत् 2055 की जमाबंदी में धीसा ही दर्ज है। सम्वत् 2060 की जमाबंदी बनाते समय प्रार्थीगण के पिता का नाम धीसा के स्थान पर छीता गलत दर्ज कर दिया जबकि अन्य खातेदारी भूमि आ0ख0नं0 1152 वाकै मौजा बानसूर के खातेदारी कॉलम में प्रार्थीगण के पिता का नाम धीसा ही सही दर्ज है। प्रा0पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगणों के पिता का नाम छीता के स्थान पर धीसा किया जावे।

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल ख0नं0 1151 में जमाबंदी सम्वत् 2055 के आधार पर प्रार्थी के पिता का नाम छीता की बजाय धीसा किया जाना उचित होगा।

बहस सुनी गई। प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। विवादित आराजी हाल खसरा नं0 1151रकबा 1.72 है0 जो कि साबिक ख0नं0 913 रकबा [illegible] बीघा [illegible] बिस्वा वाकै मौजा बानसूर से दौराने बन्दोबस्त सम्वत् 2060 में बने है [illegible] की जमाबंदी [illegible] 2055 में प्रार्थीगण के पिता का नाम धीसा ही दर्ज है परन्तु सम्वत् 2060 की जमाबंदी [illegible] प्रार्थीगण [illegible]

rajesh/court decision/2021/SDO/136 LR ACT/ हजारी बनाम तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.06 15:11:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

पिता का नाम छीता दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है । उक्त गलत इन्द्राजात का अंकन हाल रिकॉर्ड में होता चला आ रहा है। जबकि प्रार्थीगण की अन्य खातेदारी भूमि हाल ख0नं0 1152 में प्रार्थीगण के पिता का नाम घीसा ही दर्ज है। उक्त उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–ःआदेशः–

अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार कर हाल आराजी खसरा नं0 1151रकबा 1.72 है0 वाकै मौजा बानसूर जिला अलवर में दर्ज हजारी,रत्तीराम,ननचू पुत्रान छीता के स्थान पर हजारी, रत्तीराम, ननचू पुत्रान घीसा शुद्व किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी हो। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर अलवर

आज दिनांक 5/3/21 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.06 15:11:18 IST
Reason: SelfAttested

rajesh/court decision/2021/SDO/136 LR ACT/ हजारी बनाम तहसीलदार

Scanned with CamScanner